राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

जयपुर दिनांक 13.10.10

## अधिसूचना

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 9 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि इण्डियन रेलवे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा आवंटित भूमि पर उक्त संस्था द्वारा निर्मित मकान, फ्लेटस के अपने सदस्यों के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु निष्पादित विलेख पर देय स्टाम्प ड्यूटी, घटाकर बाजार मूल्य के स्थान पर हस्तान्तरण दस्तावेज में दिये गये वास्तविक प्रतिफल एवं प्रतिफल के रूप में संदत्त किसी भी अन्य राशि (यदि कोई हो) को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल की कुल राशि पर प्रभारित की जावेगी। किन्तु यदि प्रथम आवंटी ऐसे मकान या फ्लेट का अन्तरण किसी अन्य को करता है तो ऐसे अन्तरिती (ट्रान्सफरी) को उक्त छूट का लाभ देय नहीं होगा।

(प.2(38)वित्त/कर/2010 83 )
राज्यपाल के आदेश से

(नवाजी सिंह देथा)
शासन उप सचिव,

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को आज के असाधारण राजपत्र भाग 4(ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया अधिसूचना की 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावे।
2 प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री (वित्त) महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3 प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत शासन विभाग जयपुर।
4 महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर।
5 आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
6 अतिरिक्त कलेक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
7 निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
8 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
9 निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
10 Shyam Kumar Director Technical Indian Railway Welfare Organisation, Railway Complex, Shivaji Bridge, Behind Shanker Market, New Delhi- 110001,
11 एस. ए. कम्प्यूटर सैल वित्त विभाग सचिवालय, जयपुर।
12 रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव